सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-406/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 02 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-जहानागंज

अपहरण कर नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाला अपचारी गिरफ्तार

दिनांक 01.10.2020 को जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी ने थाना जहानागंज पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरी पुत्री को साजिश के तहत जोगी बनवासी पुत्र लालचन्द बनवासी ग्राम परशुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ आदि 02 व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 212/20 धारा 363/366/120बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एव विवेचनात्मक कार्यवाही से धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 01.10.2020 को व0उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय, उ0नि0 रमेश कुमार पटेल मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 212/20 धारा 363/366/120 बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त जोगी बनवासी पुत्र लालचन्द बनवासी ग्राम परशुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को मोती सिंह कुशवाहा पुत्र बालेश्वर कुशवाहा निवासी जगदीशपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर मे स्थित भीमापार ईट भट्ठे समय करीब 19.20 बजे से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना से धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया। अपचारी का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 212/20 धारा 363/366/120बी/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अपचारी

जोगी बनवासी पुत्र लालचन्द बनवासी ग्राम परशुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

व0उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय,उ0नि0 रमेश कुमार पटेल,का0 सागर सिंह,का0 वसीक अहमद,म0का0 प्रियन्का गौङ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।